पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 0803037

/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 29 जनवरी , 2008

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)/
ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)
डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर उ0प्र0 ।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

कृपया मुख्यालय के कम्प्यूटर परिपत्र संख्या 715 दिनांक 2-5-05 पत्र संख्या -स0के0-25-क-कोयला-371 दिनांक 19-4-05 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा कोयले का ईंधन (फ्यूल) से भिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता / पंजीकृत व्यापारियों से जिसमें कोयले की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी भी है, से तत्समय प्रचलित उ0प्र0, व्यापार कर अधिनियम की धारा -8 सी (3-ए) कोयले के आयात घोषणा पत्र जारी करते समय ली जाने वाली नकद जमानत की धनराशि निर्धारित की गयी है ।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि वर्तमान में प्रचलित मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-19-(3) के अन्तर्गत ईंट भट्ठा व्यापारियों से भट्ठे के लिए कोयला मॅगाये जाने के लिए आयात घोषणा पत्र की मॉग करने पर उनसे कुछ स्थानों पर आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व अग्रिम धनराशि जमा करने की मॉग की जा रही है ।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-371 दि0 29-4-05 से स्पष्ट निर्देश हैं कि कोयले का केवल ईंधन (फ्यूल) हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता पंजीकृत व्यापारियों को आयात के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय कोई जमानत नहीं ली जायेगी । कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा ऐसे व्यापारियों को आयात के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय प्रत्येक प्रपत्र पर " केवल ईंधन के लिए कोयला आयात की " मोहर लाल स्याही से लगायी जायेगी । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि व्यापार कर अधिनियम के स्थान पर मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम लागू हो जाने पर केवल ईंधन के लिए कोयला आयात करने पर आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की अग्रिम धनराशि लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । भट्ठा व्यापारियों द्वारा भी भट्ठे के लिए कोयले का प्रयोग ईंधन के रुप में किया जाता है । अत: भट्ठे के ईंधन के रुप में कोयले के आयात घोषणा पत्र की मॉग करने पर आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की अग्रिम धनराशि की मॉग किया जाना उचित नहीं है । अत: निर्देश दिये जाते हैं कि भट्ठा व्यापारियों द्वारा भट्ठे के ईंधन के रुप में कोयले का आयात करने के लिए आयात घोषणा पत्रों की मॉग किये जाने पर उनसे आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व अग्रिम धनराशि की मॉग न की जाये एवं उन्हें भट्ठे के ईंधन के रुप में कोयला आयात करने के लिए नियमों के अनुरुप बिना किसी प्रकार की अग्रिम धनराशि जमा कराये आयात घोषणा पत्र जारी किये जाये ।

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

24/1/08
(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव,संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
5. समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।
6. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियां अतिरिक्त ।

(वी0पी0श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।